



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-31102025-267286
CG-MH-E-31102025-267286

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 713]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 29, 2025/कार्तिक 7, 1947

No. 713]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 2025/KARTIKA 7, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 29 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 797(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में वीरमगाम समखियाली दोहरीकरण परियोजना के संबंध में 741/3 (समखियाली कटारिया सेक्शन) पर नए 3 लेन रोड ओवर ब्रिज का नवनिर्मित को भूमि अधिग्रहण परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, प्रांत अधिकारी, भचाऊ, जिला कच्छ को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्टिशनर के माध्यम

से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के कच्छ जिले में वीरमगाम समखियाली दोहरीकरण परियोजना के संबंध में 741/3 (समखियाली कटारिया सेक्शन) पर नए 3 लेन रोड ओवर ब्रिज का नवनिर्मित को भूमि अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

जिले का नाम: कच्छ

Sr. No.	Name of Taluka	Village Name	Survey No.	Area of Land to be acquired (in Sqm.)
1	भचाऊ	समखियाली	69/1	-
2	भचाऊ	समखियाली	73/2 Packi -1	-
3	भचाऊ	समखियाली	81/2 Packi -1	-
4	भचाऊ	समखियाली	91	0-03-22.86
5	भचाऊ	समखियाली	92	0-02-04.43
6	भचाऊ	समखियाली	90	0-05-10
			कुल:	0-10-37.29

[फा. सं. E-480575-03]

एस. आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक-II

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway(Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th October, 2025

G.S.R.. 797(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Newly Construction of New 3 Lane Road over bridge at 741/3 (Samakhiyali Katariya Section in connection with Viramgam Samakhiyali Doubling Project in District Kutch in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer- Bhachau, District Kutch, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections. Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely:
Newly Construction of New 3 Lane Road over bridge at 741/3 (Samakhiyali Katariya Section in connection
with Viramgam Samakhiyali Doubling Project District Kutch in the state of Gujarat.**

Name of District: Kutch.

Sr. No.	Name of Taluka	Village Name	Survey No.	Area of Land to be acquired (in Sqm.)
1	Bhachau	Samakhiyali	69/1	-
2	Bhachau	Samakhiyali	73/2 Packi -1	-
3	Bhachau	Samakhiyali	81/2 Packi -1	-
4	Bhachau	Samakhiyali	91	0-03-22.86
5	Bhachau	Samakhiyali	92	0-02-04.43
6	Bhachau	Samakhiyali	90	0-05-10
		Total Land		0-10-37.29

[F. No. E-480575-03]

S.R. PRASAD, Chief Project Manager-II